RNI NO. : MAHHIN/2019/77511 मुंबई : गुरुवार 19 अक्टूबर 2023 वर्ष 05 अंक 177 संपादक : फैसल शेख पृष्ठ : 4 कीमत : 03 रुपये

दैनिक
रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक

Read E Newspaper at Paper Boy App, Magzter App, Jio News App, Paytm App, Dailyhunt App

मुख्यमंत्री शिंदे का एलान
महायुति का 45 लोकसभा सीटों को जीतने पर फोकस

विपक्षियों पर साधा निशाना

मुंबईः महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ा खेल हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए सीटों के बंटवारे के मुद्दे पर सत्ताधारी गठबंधन 'महायुति' में तलवारें खिंचने की नौबत आ गई है। दरअसल, 40 विधायकों वाली एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने लोकसभा चुनावों के लिए 22 सीटों पर दावा ठोक दिया है, जिसके बाद अजीत पवार के खेमे और बीजेपी में खलबली मच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, शिंदे की सेना ने कहा है कि इन 22 सीटों पर उनकी ताकत बढ़ी है, ऐसे में वे इन सारी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए सभी दलों ने तैयारियां शुरू कर दी है। विपक्षी दल महाविकास अघाड़ी अपनी जमीन को टटोल रही है तो वहीं सत्ताधारी गठबंधन महायुति भी अपनी तैयारी में छूट गई है। भारतीय जनता पार्टी ने महायुति के लिए महाराष्ट्र की 48 में से 45 लोकसभा की सीटें जीतने का लक्ष्य रखा है। सरकार में विधायकों की संख्या के लिहाज से महायुति में इखढ का हिस्सा सबसे बड़ा है, जबकि अजित पवार दूसरे और एकनाथ शिंदे तीसरे नंबर पर हैं। वहीं सांसदों की बात करें तो बीजेपी के 24, शिवसेना के 13 और अजित गुट का एक सांसद है।

एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने दलील दी है कि पिछले लोकसभा चुनाव में 26-22 का फॉर्मूला था। 22 सीटों में से 18 सीटों पर शिवसेना के उम्मीदवार जीते थे। अन्य 4 सीटों पर अलग-अलग सियासी परिस्थितियों की वजह से शिवसेना के 4 बड़े नेताओं की हार हुई थी, लेकिन अब सियासी माहौल बदल गया है। सांसद राहुल शेवाले ने कहा कि शिरोल और रायगढ़ 2 ऐसी सीटें हैं जिन पर एनसीपी से चर्चा हो सकती है। लेकिन अन्य 20 सीटों पर शिवसेना की स्थिति मजबूत है।

एकनाथ शिंदे द्वारा 22 लोकसभा सीटों पर दावा ठोके जाने के बाद अब विपक्षी दलों ने भी निशाना साधना शुरू कर दिया है। राज्य के विपक्षी नेता विजय वड्डेटीवार ने कहा कि शिंदे गुट को मुश्किल से तीन से चार सीटे मिलेगी । उनकी बार्गेनिंग पावर खत्म हो गई है। उद्धव गुट के सांसद अरविंद सावंत ने कहा कि कल आपको यह भी सुनने मिलेगा की यह बीजेपी का ही चुनाव चिन्ह लेकर खड़े रहेंगे। उन्होंने कहा कि अपने कर्मो के फल आपको यही मिलने हैं।

ड्रीम 11 पर 1.50 करोड़ रुपये जीतने वाले
दरोगा नौकरी से निलंबित

पुणे : महाराष्ट्र के पुणे में ऑनलाइन फैंटेसी प्लेटफॉर्म 'ड्रीम 11' पर टीम बनाकर रातों-रात करोड़पति बनने वाले दरोगा सोमनाथ झेंडे को पुलिस सेवा से निलंबित कर दिया गया है। ड्रीम 11 पर 1.50 करोड़ रुपये जीतने की खबर सामने आने के बाद उनके खिलाफ विभागीय जांच शुरू की गई थी, जिसमें वह ड्यूटी के दौरान लापरवाही के दोषी पाए गए हैं। दरोगा सोमनाथ पिंपरी चिंचवड़ पुलिस कमिश्नरेट में तैनात थे। इनामी राशि जीतने पर उनको नोटिस भेजा गया था।

सोमनाथ को ड्यूटी में लापरवाही, महाराष्ट्र पुलिस के लोक सेवा नियमों का उल्लंघन और जीत के बाद वर्दी में मीडिया से बात करते हुए जुए का प्रचार करने के लिए निलंबित किया गया है।

सोमनाथ से विभागीय जांच के दौरान पूछताछ की गई थी। पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिस उपायुक्त की जांच रिपोर्ट के बाद यह कार्रवाई की गई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि सोमनाथ का ध्यान ड्यूटी के दौरान सट्टेबाजी पर था। सोमनाथ ने बांग्लादेश और इंग्लैंड के बीच हुए मैच के लिए ड्रीम 11 पर टीम बनाई थी। उनकी टीम सबसे आगे रही और पहले नंबर पर आने के कारण उन्होंने 1.50 करोड़ रुपये जीते।

महाराष्ट्र में राजनीति की स्थिति सबसे बदतर - राज ठाकरे

मुंबई : महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने शिवसेना और एनसीपी पर जमकर हमला बोला है। बुधवार को बयान में उन्होंने महाराष्ट्र की बदसूरत राजनीति की निंदा की। उन्होंने कहा, शिवसेना और एनसीपी दोनों सत्ता में भी और विपक्ष में भी है। ऐसा सिर्फ हमारे राज्य में ही है, दुनिया में कही ओर नहीं है। मैंने ऐसी बेतुकी और बदसूरत राजनीतिक स्थिति कभी नहीं देखी। स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के चुनाव के लिए मतदाताओं के पंजीकरण से पहले एक बैठक को संबोधिक करते हुए राज ठाकरे ने यह बात कही।

बैठक के दौरान राज ठाकरे ने चिपलुन शहर में मुंबई-गोवा राजमार्ग के एक हिस्से पर बन रहे एक ओवरब्रिज के गर्डर के गिरने की भी निंदा की। उन्होंने कहा, 140 करोड़ रुपये का फ्लाईओवर (ओवरब्रिज) निर्माण पूरा होने से पहले ही क्षतिग्रस्त हो गया। करोड़ों रुपये बर्बाद हो गए लेकिन किसी को चिंता नहीं हुई। फिर भी वोट मांगे जाते हैं।

उन्होंने कहा, हर टोल बूथ पर 90 कैमरे लगे हैं। वहां से कितनी गाड़ियां गुजरती है, इसका कोई हिसाब-किताब नहीं है। मुंबई और ठाणे में हर दिन सैकड़ों गाड़ियां रजिस्टर होती हैं। हालांकि, इन टोल बूथों से गुजरने वाली गाड़ियों की संख्या में कोई बदलाव नहीं होता है। क्या यह संभव है?

नाराजगी के बाद अब फटकार भी...
महाराष्ट्र MLA अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर को दिया अंतिम मौका

मुंबई : सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को शिवसेना के दोनों गुटों की ओर से दायर अपात्रता याचिकाओं पर फैसला करने के लिए एक वास्तविक समय-सीमा बताने का अंतिम मौका दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष को अपात्रता याचिकाओं पर शीघ्रता से निर्णय करना होगा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी. वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ, जिसमें जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्र शामिल थे, के समक्ष सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह दशहरा की छुट्टियों के दौरान विधानसभा अध्यक्ष से इस मामले में व्यक्तिगत रूप से बात करेंगे। सॉलिसिटर जनरल की इस बात पर गौर करते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कहा, 'हम ज्यादा समय लिए जाने से खुश नहीं हैं।' इसके बाद कोर्ट ने मामले में सुनवाई के लिए 30 अक्टूबर की तारीख तय की है। कोर्ट पहले भी मुख्यमंत्री शिंदे समेत उनके गुट के विधायकों को अयोग्य घोषित करने के लिए उद्धव ठाकरे गुट द्वारा दायर याचिकाओं पर फैसला करने में देरी को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के प्रति नाराजगी जता चुका है। चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान एक बार फिर कहा कि अगर विधानसभा मामले के निपटारे की समय सीमा तय नहीं करेंगे, तो कोर्ट उसे तय कर देगा।

इधर शिवसेना (यूबीटी) के नेता संसद राउत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट एक खूनी को, एक हत्यारे को मौत की सजा देता है। लेकिन उसे फांसी देने के लिए जल्लाद की जरूरत होती है। जज खुद हत्यारे को फांसी नहीं देते। जल्लाद के रूप में कार्य करने का अधिकार विधानसभा अध्यक्ष को दिया गया है। उन्हें लोकतंत्र के हत्यारों को फांसी पर लटकाना ही होगा।

शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री अनिल परब ने विधायकों की अयोग्यता याचिकाओं पर फैसला करने में देरी को लेकर राज्य विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर पर निशाना साधते हुए कहा कि पीठासीन अधिकारी उच्चतम न्यायालय की फटकार के बिना इस मामले पर आगे नहीं बढ़ेंगे। इससे पहले, उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को नार्वेकर को शिवसेना के दोनों गुटों की ओर से दायर याचिकाओं पर फैसला करने के लिए एक वास्तविक समय-सीमा बताने का अंतिम अवसर दिया। महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष इस भ्रम में हैं कि उच्चतम न्यायालय के आदेश उन पर लागू नहीं होते। उच्चतम न्यायालय का डंडा पड़े बिना उन्हें यह बात समझ नहीं आएगी।

महाराष्ट्र विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने मंगलवार को कहा कि जल्द ही हम यह पता लगाने की कोशिश करेंगे कि किस घटनाक्रम को अवैध या असंवैधानिक माना जाए। तभी आगे कदम उठाया जा सकता है।

संपादकीय / लेख

संसद के पाले में गेंद...

आखिरकार, सुप्रीम कोर्ट ने समलैंगिक शादी को कानूनी मान्यता देने से इनकार कर दिया। ऐसे कपल्स को गोद लेने का अधिकार भी नहीं मिला। इसी साल अप्रैल और मई में सुनवाई पूरी करने के करीब पांच महीने बाद मंगलवार को आया यह फैसला LGBTQ बिरादरी और उसके समर्थकों के लिए निराशाजनक कहा जाएगा। खासकर इसलिए भी कि 2018 में समलैंगिक रिश्तों को प्रतिबंधित करने वाली धाराएं सुप्रीम कोर्ट की ओर से खारिज किए जाने के पांच साल बाद उम्मीद की जा रही थी कि शीर्ष अदालत के दखल से समाज इस दिशा में एक कदम और आगे बढ़ेगा। वह संभव नहीं हुआ। हालांकि फैसले को देखने से यह भी साफ होता है कि सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक रिश्तों को किसी भी मायने में कमतर समझे जाने के पक्ष में नहीं है। फैसले में अलग-अलग तरह से यह बात रेखांकित की गई है कि ऐसे रिश्ते बनाने वालों के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होना चाहिए और सभी सुविधाओं तक उनकी निर्बाध पहुंच सुनिश्चित करने के प्रयास किए जाने चाहिए। कोर्ट के फैसले का मुख्य आधार यह रहा कि इन शादियों को कानूनी मान्यता देने का सवाल विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। संवैधानिक लिहाज से यह आधार वाजिब है और अपनी सीमा का सम्मान कर सुप्रीम कोर्ट ने सही किया।

लेकिन अहम सवाल यह है कि क्या संसद इस दिशा में अपनी तरफ से पहल करके ऐसा कोई कानून बनाएगी? इसमें कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। जब बतौर नागरिक दो वयस्क व्यक्ति अपनी इच्छा से संबंध बनाने और साथ रहने के हकदार हैं तो उनके उस संबंध को कानूनी मान्यता भी मिलनी ही चाहिए। इस दिशा में मौजूदा नियम-कानूनों की जो बाधाएं हैं, उन्हें दूर किया जाना चाहिए। यह काम संसद कर सकती है और उसे करना भी चाहिए। लेकिन जो तथ्य इस बारे में ज्यादा आशान्वित नहीं होने दे रहा वह है मौजूदा सरकार का इस सवाल पर दिखा रुख। सरकार ने इस मामले में कोर्ट में दोहराया कि समलैंगिक शादियों को कानूनी मान्यता नहीं दी जानी चाहिए क्योंकि इससे कई तरह की कानूनी उलझनें पैदा होंगी। यही नहीं, उसका यह भी कहना था कि यह एक इलीटिस्ट और शहरी अवधारणा है और इस तरह का संबंध रखने वाले लोगों की संख्या देश में बहुत कम है। हालांकि उखक ने अपने फैसले में साफ कहा कि इसे सिर्फ इस आधार पर शहरों तक सीमित अवधारणा नहीं कहा जा सकता कि ऐसे संबंधों के ज्यादातर उदाहरण शहरों में ही देखने को मिलते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के दबाव में लोग ऐसे संबंध खुलकर स्वीकार नहीं कर पाते। बहरहाल, इससे इतना तो स्पष्ट है ही कि संसद के मौजूदा बहुमत से इस दिशा में किसी कारगर पहल की उम्मीद नहीं की जा सकती।

फैसल शेख
(प्रधान संपादक)

+91 99877 75650
editor@rokthoklekhaninews.com
Faisal Shaikh @faisalshaikh_91

बाइक से बेखौफ होकर पिता-पुत्र करते थे छिनतई नेहरू नगर पुलिस ने क्या गिरफ्तार...

अफजल शैख

मुंब्रा : 6 अक्टूबर को कुर्ला जाने वाले रास्ते पर 55 वर्षीय शिकयत करता महिला को रास्ता पूछने के बहाने एक बाइक पर सवार दो लोगो ने उसे लूट लिया जिसके बाद महिला ने नेहरू नगर पुलिस को बताया जिसके बाद पुलिस ने महिला की शिकायत पर सीआर नंबर 347/23 की धारा 392 दर्ज करते हुए जांच शुरू की. जब पुलिस जांच ही कर रही थी तब नेहरू नगर पुलिस को पता चला की नवघर में भी ऐसाही एक चैन स्नेचिंग हुआ है और दोनो आरोपी सेम थे जिसके बाद पुलिस ने 3 टीम का गठन कर सीसीटीवी की जांच तेजी से शुरू की और लगभग 2 हजार से अधिक सीसीटीवी की जांच की और पता चला आरोपी घटना को अंजाम देने के बाद ऐरोली से होते हुए कलवा की तरफ गया फिर मुंब्रा की मसजिद में नमाज अदा की और शील रोड होते हुए सायन में एक घटना को अंजाम देने जा रहा है घटना वाले सेम दिन पर फिर आरोपी मुंबई आया जिसके बाद रास्ते पर, विक्रोली के गोदरेज रोड पर गाड़ी का नंबर की तलास पुलिस कर रही थी लेकिन शातिर बाप बेटे लगातार सीसीटीवी को धोका दे रहे थे.

जिसके पर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक नेहरू नगर को कंट्रोल द्वारा जानकारी मिली कि दोनों आरोपी मुंबई की ओर आ रहे हैं जिसके बाद एपीआई मोरे सर ने ट्रैप लगाकर फिल्मी अंदाज में दोनो आरोपी जिनकी पहचान मोहम्मद अफजल कुरेशी उम्र 42 वर्ष और उसका नाबालिक बेटा जिसकी उम्र 15 वर्ष है उसे गिरफ्तार किया गया.

आम जनता को भुगतना पड़ रहा है स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का नतीजा

मुंबई : महाराष्ट्र में ईडी सरकार के अस्तित्व में आने के बाद से ही अंधेर मचा हुआ है। सरकार में बैठे मंत्री से लेकर संत्री सभी अपने मनमुताबिक काम कर रहे हैं। इससे सभी विभागों में कामकाज राम भरोसे चल रहा है। सबसे दयनीय स्थिति स्वास्थ्य विभाग की बनी हुई है। राज्य में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही का नतीजा आम जनता को भुगतना पड़ रहा है। इससे सबसे अधिक ३० साल से अधिक आयु की महिलाएं प्रभावित हो रही हैं। आलम यह है कि महिलाओं का विभिन्न कारणों से न केवल स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, बल्कि वे हाइपरटेंशन और डायबिटीज की शिकार भी हो रही हैं। यह जानकारी की गई हेल्थ स्क्रीनिंग में सामने आई है। इसमें यह भी पता चला है कि दोनों बीमारियों का खतरा पुरुषों की तुलना में महिलाओं को अधिक है।

महाराष्ट्र के सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग द्वारा आयोजित स्क्रीनिंग से पता चला है कि पुरुषों की तुलना में ३० वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं में उच्च रक्तचाप और मधुमेह का प्रसार अधिक है। इसके मुख्य कारक मोटापा, घरेलू हिंसा, आलस्य, तंबाकू और शराब का सेवन जैसे और कई अन्य कारक हैं। इसे लेकर स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि सामाजिक-आर्थिक बाधाएं पुरुषों की तुलना में महिलाओं को असंगत रूप से प्रभावित करती हैं। ५० के बाद समान आयु के पुरुषों की तुलना में महिलाओं में हाइपरटेंशन होने की संभावना अधिक होती है। महिलाओं में इसके जोखिम से जुड़े विशिष्ट आनुवांशिक लक्षण पुरुषों की तुलना में स्पष्ट रूप से अधिक हैं। गर्भावस्था से संबंधित जटिलताएं खतरे को बढ़ाने के लिए जानी जाती हैं। इसके साथ ही गर्भ निरोधक गोलियां और रजोनिवृत्ति उच्च रक्तचाप और हृदय रोग इसके जोखिम को बढ़ा सकते हैं। एमडी मेडिसिन डॉ. नेताजी मुलिक का कहना है कि इन बीमारियों के बारे में खासकर महिलाओं में अभी भी जागरूकता की कमी है। इलाज करानेवाली अधिकांश महिलाओं में मधुमेह का पता देरी से चलने के कारण गंभीर दुष्प्रभावों का अनुभव करती हैं।

ऑटोरिक्शा चालकों पर कार्रवाई...
यात्रियों के प्रति अभद्र व्यवहार के लिए ६७ ड्राइवरों पर मामला दर्ज

मुंबई, पूर्वी उपनगरों में आरटीओ ने हाल ही में कुर्ला और मुलुंड-मानखुर्द के बीच ऑटोरिक्शा चालकों पर कार्रवाई करते हुए विभिन्न अपराधों के लिए ३४७ ड्राइवरों के परमिट निलंबित कर दिए। आरटीओ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि यात्रियों के प्रति अभद्र व्यवहार के लिए ६७ ड्राइवरों पर मामला दर्ज किया गया है। आरटीओ अधिकारी ने कहा 'हमें कुल ३९३ शिकायतें मिलीं, जिनमें से हमने किराया देने से इनकार करने के २९७ मामले बनाए। कई नागरिकों ने शिकायत की थी कि उन्हें रेलवे स्टेशनों के बाहर और अन्य क्षेत्रों में ऑटोरिक्शा ले जाने से नकार रहे हैं। हमारे अधिकारियों ने संज्ञान लिया और इन ड्राइवरों को कारण बताओ नोटिस जारी किया। आरटीओ ने यात्रियों से अधिक किराया वसूलने या निश्चित किराया मांगने के लिए २९ ऑटोरिक्शा चालकों पर भी मामला दर्ज किया है। नागरिकों ने ड्राइवरों द्वारा भाड़ा नकारने और अतिरिक्त किराया मांगने की शिकायत की है, जो यात्रा के लिए सामान्य किराए से लगभग दोगुना है। एक यात्री ने बताया की शेयरिंग ऑटो वालों की मनमानी पर प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। शेयरिंग ऑटो चालकों द्वारा हमेशा मनमानी की जाती है। निर्धारित रूट के लिए कई बार यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। इतना ही नहीं ऑटोचालकों द्वारा ३ की जगह ५ लोगों को बैठा कर यात्रा की जाती है। जो सुरक्षा और वाहन नियमों के खिलाफ है। प्रथमेश झा कहते हैं कि कांदिवली-पश्चिम से कांदिवली पूर्व (पोयसर) की तरफ जाने वाले ऑटो में रात के समय लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ता है। इसके अलावा ऑटोचालकों द्वारा अभद्र व्यवहार के साथ ही ४-५ यात्रियों को बैठा कर यात्रा की जाती है, वहीं अनुज शर्मा का कहना है कि रोजाना ऑफिस जाने के लिए ट्रेन से उतरने के बाद दादर से टैक्सी के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है, टैक्सी वालों द्वारा अधिकतर यात्रा के लिए न ही सुनने को मिलता है। हम चाह के भी कुछ भी नहीं कर पाते हैं।

कमेटी ने क्या निर्णय लिया, उससे मेरा कोई लेना-देना नहीं था - अजीत पवार

मुंबई : पुणे के यरवदा के भूखंड़ मामले में विपक्षी दलों ने जांच की मांग की है। विपक्षी दलों की इस मांग पर उपमुख्यमंत्री अजीत पवार ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि हम किसी भी जांच के लिए तैयार हैं। अजीत पवार ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कुछ लोग किताब लिखते समय इस तरह की सनसनीखेज बातें लिखकर प्रचार-प्रसार करते हैं। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस मामले में मेरा दूर-दूर तक संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मामले में तत्कालीन संभागीय आयुक्त दिलीप बंड ने विस्तृत खुलासा किया है। यह मामला २००८ का है, जब मैंने दस्तावेज देखे। जिन लोगों ने यह मामला शुरू किया, उनमें से कुछ लोग जीवित नहीं हैं। १९ फरवरी २००८ को राज्य गृहविभाग ने एक जीआर जारी किया था, जिसमें पुणे शहर में बढ़ते औद्योगिकीकरण को ध्यान में रखते हुए पुलिस विभाग की जमीन के उपयोग को लेकर एक प्रस्ताव तैयार करने और संबंधितों की एक समिति बनाने की बात कही गई थी। सरकार के विचाराधीन समिति को पुलिस विभाग के परिसर का निरीक्षण करने तथा पुलिस कार्यालय एवं आवास की आवश्यकता को पूरा करने हेतु सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करने की मंजूरी दी गई। छह सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। निर्णय लिया गया कि समिति तीन माह के भीतर प्रस्ताव सरकार को सौंपे।

पश्चिम रेलवे की आरपीएफ ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के लिए 28वीं NHRC वार्षिक वाद-विवाद प्रतियोगिता का किया आयोजन

मुंबई : पश्चिम रेलवे के रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में मुंबई के चर्चगेट स्थित पश्चिम रेलवे मुख्यालय में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) 2023 के लिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) की वार्षिक वाद-विवाद प्रतियोगिता के 28वें संस्करण का आयोजन किया। ''पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी सुमित ठाकुर के अनुसार, वार्षिक वाद-विवाद प्रतियोगिता पश्चिम क्षेत्र के लिए आयोजित की गई थी जिसमें चार केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) के प्रतिभागियों ने भाग लिया था।इस कार्यक्रम में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ), केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) और रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ)

के 16 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

बहस का विषय अंग्रेजी में ''आतंकवाद और विद्रोह के खिलाफ युद्ध में मानवाधिकार का पालन एक आवश्यक तत्व है'' और हिंदी में ''आतंकवाद और विद्रोह के खिलाफ युद्ध में मानवाधिकारों का पालन एक अनिवार्य तत्व है'' था। सभी टीमों ने विषय के पक्ष और विपक्ष में जोर-शोर से अपने विचार रखे। इस जोनल वाद-विवाद प्रतियोगिता में प्रत्येक टीम के लिए प्रतिभागियों का चयन सभी सीएपीएफ के लिए आयोजित इंट्रा-जोनल प्रतियोगिता के आधार पर किया गया था। इस प्रतियोगिता के विजेता राष्ट्रीय स्तर पर सेमीफाइनल और फाइनल राउंड के लिए प्रतिस्पर्धा करेंगे।

ठाकुर ने आगे कहा कि अंग्रेजी खंड में, पहली रैंक सीआईएसएफ टीम द्वारा हासिल की गई जिसमें सब-इंस्पेक्टर यश त्यागी और दीपक यादव शामिल थे। दूसरी रैंक बीएसएफ कांस्टेबल कृष्ण कांत झा और रोहित कुमार की टीम को मिली, जबकि तीसरी रैंक सब-इंस्पेक्टर आशुतोष राठौड़ और पंकज मलिक के साथ आरपीएफ टीम ने हासिल की। सब-इंस्पेक्टर गणेश महादेव शिंदे और इंस्पेक्टर प्रीति सिंह की सीआरपीएफ टीम को चौथी रैंक पर चुना गया। हिंदी खंड में, आरपीएफ टीम ने पहली रैंक हासिल की, जिसमें महिला उप-निरीक्षक धीरज राठौड़ और मनीषा शामिल थीं। कांस्टेबल रोहित कुमार भारती और हेड कांस्टेबल प्रकाश सिंह के साथ बीएसएफ की टीम ने दूसरी रैंक हासिल की, हेड-कांस्टेबल कुंदन कुमार उपाध्याय और कांस्टेबल राहुल सिंह के साथ सीआईएसएफ की टीम ने तीसरी रैंक हासिल की और इंस्पेक्टर दीपांकर कुमार और कृपा की सीआरपीएफ टीम ने चौथी रैंक हासिल की। चांद स्वामी. ठाकुर ने कहा कि पी.सी. पश्चिम रेलवे के आरपीएफ के आईजी सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त सिन्हा पश्चिम क्षेत्र के लिए वाद-विवाद प्रतियोगिता आयोजित करने वाले नोडल अधिकारी थे, जिसमें दादरा नगर हवेली और दमन और दीव, गोवा, गुजरात, लक्षद्वीप और महाराष्ट्र क्षेत्रों के बल कर्मी शामिल थे। इसके अलावा, एनएचआरसी ने निर्णय लिया है कि रेलवे सुरक्षा बल वाद-विवाद प्रतियोगिताओं के सेमीफाइनल और फाइनल राउंड का आयोजन करेगा। इस अवसर पर अजॉय सादानी आईजी सह प्रधान मुख्य सुरक्षा आयुक्त, मध्य रेलवे आरपीएफ, हेमन्त कुमार उपमहानिरीक्षक/आरपीएसएफ, जीतेन्द्र श्रीवास्तव उपमहानिरीक्षक/सुरक्षा, डीएफसीसीएल और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई।''

माहिम में समुद्र में डूबा 17 वर्षीय किशोर, तलाश जारी...

मुंबई : बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के अधिकारियों ने कहा कि बुधवार को उपनगरीय माहिम के पास अरब सागर में एक 17 वर्षीय लड़के के डूबने की आशंका है। बीएमसी को दोपहर करीब 1.50 बजे सूचना मिली। उन्होंने बताया कि नगर निकाय तुरंत मौके पर पहुंचा। बीएमसी ने कहा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पीयूष ओबेरॉय (17) डूब गए हैं और तलाशी अभियान जारी है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है

मुंबई पुलिस ने पुणे स्थित संदिग्ध ड्रग माफिया ललित पाटिल को नासिक में मेफेड्रोन निर्माण इकाई के संबंध में गिरफ्तार लिया

मुंबईः पुणे के ससून जनरल अस्पताल से भागने के एक पखवाड़े बाद, मुंबई पुलिस ने सोमवार को पुणे स्थित संदिग्ध ड्रग माफिया ललित पाटिल को नासिक में मेफेड्रोन निर्माण इकाई के संबंध में गिरफ्तार कर लिया, जिसका हाल ही में भंडाफोड़ हुआ था। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने पाटिल का चेन्नई में पता लगाया और स्थानीय पुलिस की मदद से उसे एक होटल से गिरफ्तार कर लिया। अधिकारियों ने कहा कि उसे शहर लाया जा रहा है और बुधवार को यहां एक अदालत में पेश किए जाने की संभावना है। पाटिल की गिरफ्तारी और उससे पहले हुई अंतरराज्यीय जांच के साथ, पुलिस ने दवा निमार्ताओं और विक्रेताओं के एक गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो एक फार्मास्युटिकल इकाई के रूप में छिपी हुई फैक्ट्री में इसे बनाने के बाद प्रतिबंधित पदार्थ बेचते थे।

यह सब दो महीने पहले उत्तेजक पदार्थ मेफेड्रोन (एमडी) की मामूली मात्रा के साथ एक तस्कर की गिरफ्तारी के साथ शुरू हुआ, जिसके बाद मुंबई की साकीनाका पुलिस नासिक की फैक्ट्री में पहुंचीः जैसे ही पता चला, फैक्ट्री के कर्मचारी साइकोट्रोपिक दवाओं का निर्माण कर रहे थे। फार्मास्युटिकल

फैक्ट्री की आड़ में. कहा जाता है कि इस ऑपरेशन को भाई ललित पाटिल और भूषण पाटिल चला रहे थे, जो उस समय भाग रहे थे। पुलिस ने मामले में 12 लोगों को गिरफ्तार किया और ₹300 करोड़ से अधिक मूल्य की 150 किलोग्राम से अधिक एमडी जब्त की।

पहले ड्रग पेडलर की गिरफ्तारी के बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआः पेडलर पहले उन्हें मामले के एक अन्य आरोपी अनवर अफसर सैय्यद (42) तक ले गया, जो स्थानीय पेडलर्स को ड्रग्स की आपूर्ति करता था। गिरफ्तारी के दौरान उनके पास 10 ग्राम ड्रग्स था. इसके बाद सैय्यद उन्हें धारावी के अपने आपूर्तिकताओं - जावेद खान (27), आसिफ शेख (30) और इकबाल मोहम्मद अली (30) के पास ले गया, और उन्होंने पुलिस को सुंदर शक्तिवेल (44), हसन शेख (43) नामक तीन अन्य लोगों तक पहुंचाया।) और अयूब सैय्यद (32)। इनके पास से कुल 110 ग्राम एमडी बरामद किया गया.

ये (जिन्हें गिरफ्तार किया गया) नशीली दवाओं की तस्करी के पदानुक्रम में दूसरों से एक स्तर ऊपर थे। हमें एहसास हुआ कि अगर हम उनके बीच आगे बढ़ते रहे, तो हम बहुत शीर्ष स्तर तक पहुंचने में सक्षम होंगे, ''जांच अधिकारियों में से एक ने नाम न छापने की शर्त पर कहा। उन्होंने कहा कि वे इस मामले पर पिछले दो महीनों से काम कर रहे हैं, विभिन्न कड़ियों को जोड़ने के लिए नासिक, पुणे और मुंबई के बीच यात्रा कर रहे हैं। वास्तव में, पुलिस की एक टीम गिरोह के अगले सदस्य आरिफ शेख (42) को पकड़ने के लिए हैदराबाद भी गई थी, जिसे गिरफ्तार किए जाने पर 110 ग्राम एमडी, एक देशी पिस्तौल और सात जिंदा कारतूस मिले थे। इसी तरह, दक्षिण मुंबई के सभी तस्करों को ड्रग्स की आपूर्ति करने वाले नासिर उमर शेख उर्फ चाचा (58) को भी गिरफ्तार किया गया। उसके पास 1,250 ग्राम एमडी पाया गया।

शेख ने शिलफाटा, कल्याण निवासी रेहान और अजहर अंसारी से दवाओं की आपूर्ति की, जिनके पास 15 किलो एमडी संग्रहीत पाया गया था। ''ये दोनों हमें नासिक रोड से जीशान शेख (34) तक ले गए। जब हम वहां पहुंचे, तो हमने पाया कि श्री गणेश फार्मास्यूटिकल्स के नाम से एक फैक्ट्री है, जिसमें दवाओं का निर्माण किया जा रहा था और राज्य भर में तस्करों को आपूर्ति की जा रही थी, ''पुलिस अधिकारी ने कहा। सूत्रों ने बताया कि ऑपरेशन के पीछे ललित पाटिल का दिमाग था, जो कुछ दिन पहले तक पुणे के ससून अस्पताल से ड्रग कार्टेल चलाता पाया गया था। उसका भाई भूषण पाटिल, जो ललित के निदेर्शों के आधार पर गिरोह का रोजमर्रा का काम चला रहा था, फरार है।

देवनार पुलिस ने 25 गुम हुए मोबाइल फोन बरामद किए... उन्हें उनके मालिकों को लौटाया

मुंबई : देवनार पुलिस नागरिकों के कम से कम 25 लापता मोबाइल फोन का पता लगाने में कामयाब रही है, जो उन्होंने कम से कम एक साल पहले खो दिए थे। थाने की साइबर सेल ने तीन-चार महीने पहले गुम हुए मोबाइल मामलों की जांच शुरू की। वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक राजेश केवले ने कहा, ''ये झपटमारी या चोरी के मामले नहीं हैं, बल्कि ऐसे मामले हैं जहां नागरिकों ने यात्रा के दौरान अपने मोबाइल फोन खो दिए हैं या अनजाने में उन्हें खो दिया है। हमने उन उपकरणों और उनके वर्तमान ठिकाने को देखना शुरू कर दिया है।'देवनार पुलिस. उन्होंने कहा कि साइबर सेल ने इस संबंध में जांच शुरू की, सबसे पहले खोए हुए मोबाइल फोन के सब्सक्राइबर डिटेल रिकॉर्ड (एसडीआर) और कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) हासिल किए। उसी के आधार पर, साइबर टीम द्वारा प्रबंधित तकनीकी विश्लेषण शुरू हुआ, जबकि अन्य पुलिस कर्मियों ने भौतिक रूप से जमीनी काम शुरू किया। 25 फोन में से 5 मुंबई से और 5 महाराष्ट्र से बाहर पाए गए।उन्होंने बताया कि 10 फोन शहर के अलग-अलग इलाकों में थे और सभी फोन की कुल कीमत -5९64 लाख तक थी। इस तरह के

मामलों में, जिसने भी फोन चुराया है, या इसे बेतरतीब ढंग से उठाया है, वह इसे आधी कीमत पर स्थानीय सड़क किनारे की दुकानों को बेच देता है, जो फिर इसे न्यूनतम कीमत पर ग्राहकों को बेच देते हैं। ''ग्राहकों को पता नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं, इसलिए यह उनकी गलती नहीं है। दुकानदार वैसे भी लाभ की खरीदारी की तलाश में हैं, इसलिए ऐसे मामलों में कोई गिरफ्तारी नहीं होती है क्योंकि यह व्यवसाय पिस्सू बाजारों (चोर) में एक सिंडिकेट की तरह काम करता है बाजार) थोक के बजाय, या एक परिष्कृत तरीके से खुदरा, 'केवले ने आगे बताया।

पुलिस फोन वापस पाने के लिए वर्तमान उपयोगकताओं से मिलती है

पुलिस ने व्यक्तिगत रूप से वर्तमान उपयोगकताओं से मुलाकात की, फोन ले लिया और इसे मूल मालिकों को लौटा दिया। मंगलवार को जब पुलिस ने इसे लोगों को लौटाया तो उनमें से कई लोग हैरान रह गए क्योंकि उन्हें अपने फोन वापस मिलने की उम्मीद नहीं थी।

दैनिक रोकठोक लेखनी
खबरें बे-रोकटोक
मुंबई : गुरुवार 19 अक्टूबर 2023

कुर्ला स्थित एक महिला डॉक्टर पर फर्जी एसटी प्रमाणपत्र के लिए मामला दर्ज

मुंबई : मुंबई के अमरावती नगर में डॉ. पंजाबराव देशमुख मेमोरियल मेडिकल कॉलेज ने मेडिकल शिक्षा हासिल करने के लिए कथित तौर पर फर्जी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र का उपयोग करने के लिए कुर्ला स्थित एक महिला जेबा आरिफ खान के खिलाफ शिकायत दर्ज की है। जेबा के पूर्व पति, मलाड निवासी अहमद फराज सिद्दीकी ने मलाड पुलिस से संपर्क किया और उसके खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसने इसे गाडगे नगर पुलिस, अमरावती को भेज दिया, क्योंकि कॉलेज उस पुलिस स्टेशन के अधिकार क्षेत्र में था। . सिद्दीकी के अनुसार, उन्हें फर्जी प्रमाणपत्र के बारे में अप्रैल 2022 में पता चला जब जेबा ने उनसे मुंबई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर एक चिकित्सा अधिकारी के रूप में नौकरी के आवेदन के लिए अपने कुछ दस्तावेजों की फोटोकॉपी मांगी। उन्होंने एफपीजे को बताया, ''इस प्रक्रिया के दौरान मुझे अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र और इसकी जांच समिति के दस्तावेज सहित दो संदिग्ध प्रमाण पत्र मिले, जिसमें जलगांव में उसके निवास का सुझाव दिया गया था, जो उसका मूल स्थान नहीं है।''

एफआईआर 13 अक्टूबर को कॉलेज के प्रशासनिक अधिकारी रविशेखर सिंह ने अमरावती के गाडगे नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी. कॉलेज को मेडिकल शिक्षा और अनुसंधान निदेशालय, मुंबई से फर्जी प्रमाणपत्र की पुष्टि करने वाला एक पत्र मिलने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। फ्री प्रेस जर्नल के पास एफआईआर और एमईआर के पत्र दोनों की प्रति है। पत्र में कहा गया है कि डॉ. जेबा आरिफ खान ने शैक्षणिक वर्ष 2011-2012 में पीडीएमएमसी में एसटी वर्ग से एमबीबीएस पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश लिया था, जो फर्जी होने का संदेह है और कॉलेज अधिकारियों से उक्त प्रमाणपत्र की वैधता की जांच करने का अनुरोध किया था। पीडीएमएमसी ने इस पर तकनीकी जांच करने के बाद पाया कि संदेह काफी बड़ा है।

जेबा का प्रवेश पात्रता पंजीकरण रद्द कर दिया गया

इस बीच, महाराष्ट्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, नासिक ने भी उन्हें सूचित करते हुए कहा कि उन्होंने जेबा का प्रवेश पात्रता पंजीकरण रद्द कर दिया है। एफपीजे ने कहानी का पक्ष जानने के लिए जेबा से संपर्क किया। उनके मुताबिक, जब वह कोचिंग क्लास में थीं तो उनकी नजर एक पैम्फलेट पर पड़ी, जिसमें मेडिकल कॉलेजों में आसानी से एडमिशन दिलाने का जिक्र था और उसमें डॉ. अतुल वहाब मिर्जा नाम के शख्स का नंबर भी लगा हुआ था। मिर्जा को पहले मेडिकल उम्मीदवारों को फर्जी प्रमाणपत्र जारी करने के आरोप में नागपाड़ा पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जेबा चिल्लाती है, ''मैं धोखाधड़ी का शिकार हुई हूं।'' ''इस व्यक्ति ने मुझे आश्वस्त किया कि मुझे कहीं भी आसानी से प्रवेश मिल जाएगा और मैंने उसे ₹12 लाख का भुगतान किया। उसने मुझे कभी नहीं बताया कि प्रवेश कैसे होगा, इसलिए मैं इस अपराध में शामिल नहीं हूं, बल्कि मैं एक पीड़ित हूं। मैंने मुलाकात की डॉ. मिर्जा अपने नागपाड़ा कार्यालय में जहां मैंने नकद भुगतान किया। मैं मामला अदालत में लड़ूंगी, क्योंकि मैं पीड़ित हूं,'' उन्होंने कहा।

देश की पहली रैपिडएक्स ट्रेन चलने के लिए तैयार...

देश की पहली रैपिडएक्स ट्रेन चलने के लिए तैयार हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 अक्टूबर को साहिबाबाद से दुहाई तक 17 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर का उद्घाटन करने गाजियाबाद आ रहे हैं। बता दें कि यह दिल्ली-एनसीआर ही नहीं देश का पहला रिजनल रैपिडएक्स ट्रेन है, जिसकी शुरूआत होने जा रही है। रैपिडएक्स ट्रेन की सवारी करने वाले बुजुर्गों, बच्चों, दिव्यांग और महिलाओं के लिए खासतौर पर विशेष व्यवस्था की गई हैं। दिल्ली-एनसीआर में यह व्यवस्थाएं दिल्ली मेट्रो से बिल्कुल अलग है। दिल्ली मेट्रो में जो सुविधाएं पैसे देकर यात्रियों मिलती हैं, रैपिडएक्स ट्रेन में वही सुविधाएं फ्री में मिलने जा रही हैं। साहिबाबाद से दुहाई तक 17 किलोमीटर लंबे रेल खंड पर पांच स्टे साहिबाबाद, गाजियाबाद, गुलधर, दुहाई और दुहाई डिपो स्टेशन हैं। स्टेशनों पर यात्रियों के लिए लिफ्ट और एस्कलेटर की सुविधा दिल्ली की तरह की गई है। दिल्ली मेट्रो में जहां शौचालय के पैसे देने पड़ते वहीं रैपिडएक्स ट्रेन में हर स्टेशन पर फ्री में शौचालय और पेयजल की सुविधा भी मिलेगी। दिल्ली मेट्रो में आपको शौचालय के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। इसके साथ रैपिडएक्स ट्रेन में बच्चों के लिए डायपर बदलने की भी व्यवस्था अलग से की गई है।

बॉम्बे हाई कोर्ट ने बीएमसी से 1969 में अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजा देने को कहा

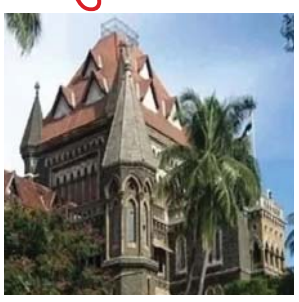

मुंबई : बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) को निर्देश दिया कि वह डेवलपर को फ्लोर स्पेस इंडेक्स (एफएसआई) या विकास अधिकारों के हस्तांतरण (टीडीआर) या 1969 में अधिग्रहित सेटबैक भूमि के लिए धन के रूप में मुआवजा दे। 1969 में, बीएमसी ने एलएलजे रोड, नेपियन सी रोड के साथ लगभग 3,635 वर्ग फुट को सार्वजनिक सड़क का हिस्सा बनाने के लिए एक सेटबैक क्षेत्र के रूप में लिया। सेटबैक क्षेत्र किसी इमारत के चारों ओर न्यूनतम खुली जगह है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि यह सड़क, जल निकाय या अन्य इमारत से दूरी पर है।

हाई कोर्ट रुनवाल टाउनशिप प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।

याचिका के अनुसार, मूल मालिक (मेघजी गोपालजी और पत्नी) ने 1976 में सेटबैक क्षेत्र के मुआवजे के रूप में बीएमसी से एफएसआई की मांग की थी। उन्होंने निगम के साथ नियमित रूप से संपर्क किया। दंपति ने 2011 में यह प्लॉट रुनवाल टाउनशिप को बेच दिया, जिसने इसके बाद बीएमसी से संपर्क किया। हालाँकि, बीएमसी ने, 2018 में, रुनवाल को सूचित किया कि सेटबैक भूमि के अधिग्रहण के बदले में धन या एफएसआई जारी करने के उनके अनुरोध को सम्मानित नहीं किया जा सकता है क्योंकि अधिग्रहण अप्रैल 1969 में किया गया था। इसके बाद, रुनवाल ने एचसी से संपर्क किया।

मालिक ने मुआवजे का भुगतान नहीं होने का सबूत पेश नहीं किया: बीएमसी

नागरिक निकाय ने अपने फैसले को उचित ठहराते हुए कहा कि ''अत्यधिक देरी हुई है और मालिक ने मुआवजे का भुगतान नहीं किए जाने को दिखाने के लिए कोई दस्तावेजी सबूत प्रस्तुत नहीं किया है''। बीएमसी ने कहा कि 2011 में, प्लॉट पहले से ही एक सार्वजनिक सड़क का हिस्सा था, और इसलिए सेटबैक भूमि के संबंध में डेवलपर के पास कोई अधिकार, स्वामित्व और हित नहीं होगा। इस प्रकार, उसे किसी मुआवजे का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा। अदालत ने कहा कि बीएमसी दिसंबर 2018 तक मुआवजा देने को तैयार थी, जब दंपति और डेवलपर ने मामले को आगे बढ़ाया। हालांकि सेटबैक भूमि एक सार्वजनिक सड़क का हिस्सा बन गई थी, लेकिन पूर्व मालिकों को मिलने वाला मुआवजे का अधिकार जीवित रहा, पीठ ने कहा।

महाराष्ट्र में 511 कौशल केंद्रों का शुभारंभ करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार शाम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए महाराष्ट्र में एक साथ 511 प्रमोद महाजन ग्रामीण कौशल्य विकास केंद्रों का शुभारंभ करेंगे। दिवंगत भाजपा नेता प्रमोद महाजन के नाम पर ये कौशल विकास केंद्र महाराष्ट्र के 34 ग्रामीण जिलों में स्थापित किए जा रहे हैं। प्रधान मंत्री कार्यालय की एक विज्ञप्ति के अनुसार, ये केंद्र ग्रामीण युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में कौशल विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करेंगे।

पीएमओ ने कहा, ''प्रत्येक केंद्र कम से कम दो व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में लगभग 100 युवाओं को प्रशिक्षित करेगा। प्रशिक्षण राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद के तहत सूचीबद्ध उद्योग भागीदारों और एजेंसियों द्वारा प्रदान किया जा रहा है।'' पीएमओ ने कहा कि इन केंद्रों की स्थापना से क्षेत्र को अधिक सक्षम और कुशल जनशक्ति विकसित करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हासिल करने में मदद मिलेगी।

''अब तक महाराष्ट्र की 28 हजार ग्राम पंचायतों में कोई कौशल विकास केंद्र नहीं था। कौशल विकास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। तदनुसार, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अवधारणा के अनुसार, हमने कौशल विकास केंद्र शुरू करने का निर्णय लिया।'' 500 (विषम) ग्राम पंचायतें, ''महाराष्ट्र में कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार मंत्री मंगल प्रभात लोढ़ा ने मंगलवार को कहा। मंत्री लोढ़ा ने कहा कि ये कौशल विकास केंद्र युवाओं को रोजगार के लिए गांवों से शहरों की ओर पलायन करने से रोकने में मदद करेंगे, भविष्य में ऐसे केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी।

एमएच ०४ और ०५ के वाहनों को टोल माफी देने की मांग

ठाणे : टोल वृद्धि को लेकर महाविकास आघाड़ी अब आक्रामक हो चुकी है। महाविकास आघाड़ी ने ठाणे और कल्याण अर्थात एमएच ०४ और ०५ के वाहनों को टोल माफी देने की मांग की है। शहर में बढ़ रहा ट्रैफिक, बढ़ता शहरीकरण, वाहनों की बढ़ती संख्या, मनपा की सीमा में टोल बूथों पर वाहनों की भीड़ और भारी वाहनों के कारण शहर की सड़कों पर दबाव बढ़ा रहा है लेकिन कोई उपाययोजना नहीं की जा रही है, जिसका खामियाजा ठाणेकरों को भुगतना पड़ रहा है। महाविकास आघाड़ी ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ट्रैफिक जाम समस्या को हल नहीं किया गया तो वे ट्रैफिक पुलिस के कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे।

बता दें कि ठाणे कांग्रेस कार्यालय, में आयोजित पत्रकार परिषद को संबोधित करते हुए कांग्रेस शहर अध्यक्ष विक्रांत चव्हाण ने भी मांग की कि ठाणे, मुलुंड, ऐरोली में टोल बूथ एमएच ०४ और ०५ वाहनों के लिए बंद किए जाने चाहिए। इस दौरान ठाणे राष्ट्रवादी कांग्रेस अध्यक्ष सुहास देसाई, कांग्रेस प्रवक्ता सचिन शिंदे, राहुल पिंगले और शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) चंद्रभान आजाद आदि उपस्थित थे। विक्रांत चव्हाण ने कहा कि ठाणे मनपा सीमा में जहां जरूरत नहीं है, वहां डिवायडर लगाए जा रहे हैं, शहर की सड़कों पर हाथगाड़ी और फेरीवाले अवैध रूप से बैठाए जा रहे हैं। शहर में भारी वाहनों की संख्या बढ़ रही है, निर्माण पेशेवरों के आरएमसी ट्रक, निजी बसों के कारण ट्रैफिक जाम हो रहा है।

मालिक , मुद्रक,प्रकाशक ,संपादक फैसल शेख ने सोमानी प्रिंटिंग प्रेस , गाला नं 3 - 4 ,अमीन इंडस्ट्रियल इस्टेट ,सोनावला क्रॉस रोड नं 12 ,गोरगांव (पूर्व),मुंबई 63 से छपवाकर रूम नं 15 रमजान बिन 17 सी वंजावडी, माहिम वेस्ट मुंबई :4000 16 से प्रकाशित किया। संपर्क कार्यालय : 1 -ए, ग्राउंड फ्लोर साहिल मेंशन, बालमिया लेन, माहिम वेस्ट मुंबई 400016 मोबाइल नं 9987 77 5650 व्हाट्सप्प नं 7977 40 8589 : Email - editor@rokthoklekhaninews.com